राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 फरवरी, 1984

क्रमांक **116-ज(II)-84/4246.**—श्री बिहारी, पुत्र श्री कालू, गांव बव्वा, तहसील कोसली, जिला रोहतक, की दिनांक 24 अगस्त, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बिहारी की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1202-आर-4-68/1240, दिनांक 25 मार्च, 1968, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भूरी देवी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **66-ज(II)-84/4326.**—श्री जग राम सिंह, पुत्र श्री रामपत, गांव पैंतावास, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगराम सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4176-र-III-70/19512, दिनांक 17 अगस्त, 1970 अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती साहब कौर के नाम खरीफ़, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **117-ज-II-84/4330.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मामचन्द, पुत्र श्री दिलसा, गांव धनिया, तहसील कोसली, जिला रोहतक, को खरीफ, 1964 से रबी, 1970 तक 100 पये वार्षिक तथा खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 24 फरवरी, 1984

क्रमांक **87-ज(II)-84/5207.**—श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री लच्छमण सिंह, गांव रासीवास, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 5 दिसम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रणजीत सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 541-ज-I-71/31396, दिनांक 12 अक्तूबर, 1971, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर- III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सीवली के नाम खरीफ़, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी. आर. तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

## SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

The 7th January, 1984

No. 405-SW(I)-84.—Owing to the creation of the posts of District Social Welfare Officers in the districts of the state by the Social Welfare Department, the Governor of Haryana is pleased to declare the District Social Welfare Officers in the state as Recommending Officers also under various welfare schemes relating to the Social Welfare Department, as is being done by the Deputy Commissioners, Sub-Divisional Officers (Civil), Tehsildars, Block Development & Panchayat Officers and District Welfare Officers. This addition may be deemed to have been made in all the rules/regulations accordingly.

2. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed,—*vide* their U.O. No. 78-3FGII-83, dated 6th January, 1984.

M. G. DEVASAHAYAM,
Commissioner & Secretary to Govt. Haryana,
Social Welfare Department.